



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप-अ)

सन् 2023-24 में नवरथापित की जाने वाली डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप



हम तहसीलदार सिंह यादव एवं बालकृष्ण यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मातृ गंगाजली शिक्षा समिति शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं कि:-

ATTESTED *Kartikai Kumar Singh* यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मातृ गंगाजली फार्मेसी कालेज पता ग्राम व पोस्ट-मौजिया, तहसील-जखनिया, जिला-गाजीपुर उ0प्र0 नामक डिप्लोगा इस फार्मेसी संस्थान की स्थापना 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Sworn & Verified *Kartikai Kumar Singh* यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम व पोस्ट-मौजिया, तहसील-जखनिया, जिला-गाजीपुर उ0प्र0 में गाठा संख्या 790ए 787ए 218ए 217ए 790ए 787ए 218ए 217ए कुल रकवा 0.8538हें भूमि है।

यह कि हमारी उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि अनुमोदित है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि की के गाठा संख्या 790ए 787ए 218ए 217ए 790ए

Lucknow (787ए 218ए 217ए) कुल रकवा 0.8538हें क्रमशः हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थान Date 02/06/2023 किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनोंक 07.06.2017 द्वारा पारित किया गया है।


यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशे के अनुसार किया गया है।

यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कि, इस भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोगा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

I know and identify the deposent w
has signed/ put T.L. before me.

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०४० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नहीं भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक व्यक्तिएँ एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्णत निर्देशों/आदेशों का भलि-भालि पालन करेंगा। यह कि मेरे संस्थान में किसी भी सम्बद्ध निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता संप्रति द्वारा उल्लिखित गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मेरे घोषणा केरता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित् अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा चिरमन्त्रियों का ननु संगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ATTESTED
Sworn & Verified
Before Me.

Kartikay Kumar Singh
(Advocate)

N.Y.
Lucknow (U.P.) INDIA
Date: 02/09/2023

प्रदीप लक्ष्मण
ह० अध्यक्ष
Chairman/Secretary
Matri Gangajali Shiksha Samiti
Ghazipur

I know and certify the document was signed before me.